भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियम और सहायक अनुदेश बनाने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2026 संबंधी एक्सपोज़र प्रारूप

Exposure Draft on the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Procedure for Making Regulations and Subsidiary Instructions) Regulations, 2026.

दिनांक / Date: 17.06.2026

1. कार्यकारी सारांश

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधियों का संशोधन) अधिनियम, 2025 (इन विनियमों में इसके बाद "एसबीएसआर अधिनियम" के रूप में उल्लिखित) अंतर्गत लागू किये गये ढाँचे के आलोक में आईआरडीएआई (विनियम और सहायक अनुदेश बनाने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2026 (इन विनियमों में इसके बाद `प्रस्तावित विनियम' के रूप में उल्लिखित) जारी करने का प्रस्ताव करता है।

एसबीएसआर अधिनियम ने विनियम बनाने में पारदर्शिता लाने के लिए जनता के साथ परामर्श और आवधिक समीक्षा से संबंधित उपबंध लागू किये हैं। इसके अलावा, एसबीएसआर अधिनियम सलाहकार समितियों के साथ परामर्श करने के द्वारा सहायक अनुदेशों के निर्गम की पद्धति उपलब्ध कराता है। प्रस्तावित विनियम इन सांविधिक उपबंधों को परिचालित करने तथा विनियम और सहायक अनुदेश बनाने, उनमें संशोधन करने और उनकी समीक्षा करने के लिए एक संरचित, और परामर्शक ढाँचा स्थापित करने की अपेक्षा करते हैं।

प्रस्तावित विनियमों का उद्देश्य बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 के संशोधित उपबंधों के साथ सुयोजित करना है।

प्रस्तावित विनियम, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करते हैं:

- विनियम निर्माण को नियंत्रित करनेवाले सिद्धांत;
- विनियमों के प्रारूप के लिए जनता के साथ परामर्श का ढाँचा;
- प्रस्तावित विनियमों का आर्थिक विश्लेषण;
- बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श;
- अतिरिक्त हितधारक परामर्श व्यवस्थाएँ;
- सहायक अनुदेशों के निर्गम को नियंत्रित करनेवाला ढाँचा;
- परामर्शदात्री समितियों का गठन और उनकी कार्य-पद्धति;
- विनियमों और सहायक अनुदेशों की आवधिक समीक्षा;
- विनियमों और सहायक अनुदेशों के संशोधन के लिए प्रक्रिया; तथा
- अत्यावश्यक विनियमों और अत्यावश्यक सहायक अनुदेशों के लिए ढाँचा;

---

2. वर्तमान विनियामक ढाँचा और एसबीएसआर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत विधायी परिवर्तन।

बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 प्राधिकरण को संबंधित संविधि के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बनाने हेतु अधिकार प्रदान करते हैं। एसबीएसआर अधिनियम, 2025 ने निम्नलिखित के लिए उपबंधों सहित, विनियम-निर्माण और सहायक अनुदेशों के निर्गम से संबंधित सांविधिक ढाँचा लागू किया है:

- एक परामर्शक प्रक्रिया के द्वारा विनियमों का निर्माण करना;
- विनियमों के प्रारूप को प्रकाशित करना और जनता से टिप्पणियाँ आमंत्रित करना;
- प्रक्रियागत और स्पष्टीकरणकारी विषयों के लिए सहायक अनुदेशों का निर्गम;
- सलाहकार समितियों का गठन; तथा
- विनियमों की आवधिक समीक्षा।

तदनुसार, यह आवश्यक समझा गया है कि इन उपबंधों को परिचालित करने तथा विनियम बनाने, इनमें संशोधन करने और इनकी समीक्षा करने और सहायक अनुदेशों का निर्गम करने की प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए एक विनियामक ढाँचा लागू किया जाए। प्रस्तावित विनियमों का उद्देश्य हितधारकों की संलिप्तता, जनता के साथ परामर्श और एक्सपोज़रों के प्रारूप को प्रकाशित करने के सिद्धांतों को संहिताबद्ध करना है, जिनका अनुसरण अब तक इसके लिए एक संरचित ढाँचा निर्मित करने हेतु स्थापित विनियामक पद्धतियों के रूप में किया जा रहा है।

---

3. प्रस्तावित विनियमों की मुख्य विशेषताएँ:

3.1 विनियम बनाने के सिद्धांत:

प्रस्तावित विनियम स्थूल सिद्धांत निर्धारित करते हैं जो विनियम बनाते समय ध्यान में रखे जा सकते हैं।

3.2 जनता के साथ परामर्श का ढाँचा:

प्रस्तावित विनियम एक पारदर्शी जन परामर्श ढाँचे के लिए व्यवस्था करते हैं जो हितधारकों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए विनियमों के प्रारूप के प्रकाशन की अपेक्षा करता है।

3.3 आर्थिक विश्लेषण के लिए ढाँचा:

प्रस्तावित विनियम प्राधिकरण के सांविधिक उद्देश्यों के साथ आनुपातिक तौर पर लागतों और लाभों के मूल्यांकन सहित, प्रस्तावित विनियमों का आर्थिक विश्लेषण करने के लिए प्राधिकरण को सशक्त बनाते हैं।

3.4 बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श:

प्रस्तावित विनियम आईआरडीए अधिनियम, 1999 के उपबंधों के अनुसार बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श की व्यवस्था करते हैं।

3.5 अतिरिक्त परामर्श व्यवस्था:

प्रस्तावित विनियम विनियामक प्रस्तावों की जाँच करने के लिए प्रभाव-क्षेत्र (डोमेन) की विशेषज्ञता को जोड़ने हेतु अतिरिक्त परामर्श व्यवस्थाएँ स्थापित करने के लिए प्राधिकरण को सशक्त बनाते हैं।

3.6 सहायक अनुदेशों के लिए ढाँचाः

एसबीएसआर अधिनियम सहायक अनुदेशों की पहचान एक अलग विनियामक साधन के रूप में करता है। प्रस्तावित विनियम सहायक अनुदेशों के विस्तार और स्वरूप को विनिर्दिष्ट करते हैं जो निम्नलिखित के लिए जारी किये जा सकते हैं:

- विनियमों में अस्पष्टताओं के बारे में स्पष्टीकरण; तथा
- विनियमों के लिए अनुषंगी प्रक्रियागत विषय।

3.7 परामर्शदात्री समितियों का गठन:

बीमा अधिनियम की धाराओं 114बी और 114सी के प्रयोजन के लिए, प्रस्तावित विनियम सहायक अनुदेशों और आईआरडीएआई द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य विषयों से संबंधित मामलों पर सिफारिशें देने के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन के लिए व्यवस्था करते हैं।

3.8 संशोधन और समीक्षा का ढाँचा:

प्रस्तावित विनियम, विनियमों और सहायक अनुदेशों के लिए संशोधनों की अपेक्षा करते हैं जो उनके निर्गम के लिए व्यवस्थित रूप में उसी प्रक्रियागत ढाँचे का सामान्यत: अनुसरण करते हैं। यह विनियमों और उनके अधीन जारी किये गये सहायक अनुदेशों की आवधिक समीक्षा की भी व्यवस्था करते हैं।

3.9 अत्यावश्यक विनियम और सहायक अनुदेश:

निम्नलिखित को समर्थ बनाने के लिए सीमित अपवर्जन प्रस्तावित हैं:

- लोक-हित और आईआरडीएआई के आंतरिक कार्यचालन संबंधी अत्यावश्यक विनियम; तथा
- अपवादात्मक परिस्थितियों में अत्यावश्यक सहायक अनुदेश।

उक्त ढाँचा ऐसी कार्रवाई के लिए कारण दर्ज करने, तथा इसके द्वारा उत्तरदायित्व के साथ कुछ अत्यावश्यकताओं के प्रति विनियामक अनुक्रियाओं को संतुलित करने की अपेक्षा करता है।

---

4. पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण:

प्रस्तावित विनियम, विनियम बनाने के संबंध में परामर्शी व्यवस्था के द्वारा पालिसीधारक संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिए व्यवस्था करते हैं:

- विनियमों के निर्गम से पहले जनता के साथ परामर्श;
- हितधारकों की प्रतिसूचना (फीडबैक) का विचार;
- परामर्शदात्री समितियों में स्वतंत्र विशेषज्ञों की सहभागिता;
- प्रस्तावों का आर्थिक विश्लेषण, जहाँ आवश्यक समझा गया हो;
- विनियामक प्रभावकारिता की आवधिक समीक्षा।

प्रस्तावित ढाँचा पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के साथ उत्तरदायित्व को संतुलित रखने की अपेक्षा करता है।

---

5. हितधारकों की प्रतिसूचना (फीडबैक): प्राधिकरण प्रस्तावित संशोधनों पर हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित करता है। विनियम का एक्सपोज़र प्रारूप **अनुबंध 1** के अनुसार है। हितधारक **अनुबंध 2** में विनिर्दिष्ट फार्मेट में एक्सपोज़र प्रारूप पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतिसूचना (फीडबैक) सुश्री अंजली जौली को anjaly.jolly@irdai.gov.in पर तथा श्री आर्यवीर चौहान को aaryaveer.chauhan@irdai.gov.in पर 8 जुलाई, 2026 को या उससे पहले प्रस्तुत की जा सकती है।

यह परामर्श-पत्र जनता और उद्योग की टिप्पणियों के लिए जारी किया जाता है।

1. **Executive Summary**

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) proposes to issue the IRDAI (Procedure for Making Regulations and Subsidiary Instructions) Regulations, 2026 ("herein after referred to as 'The proposed Regulations") in light of the framework introduced under the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025 ("herein after referred to as SBSR Act").

The SBSR Act has introduced provisions relating to the public consultation and periodic review of Regulations to bring transparency in regulation making. Further, SBSR Act provides the manner of issuance of subsidiary instructions by consulting the consultative committees. The proposed Regulations seek to operationalize these statutory provisions and establish a structured, and consultative framework for making, amendment and review of regulations, and subsidiary instructions.

The proposed Regulations are intended to align with the revised provisions of the Insurance Act 1938 and IRDA Act, 1999.

The proposed Regulations, inter alia, provide for:

- Principles governing regulation making;
- Public consultation framework for draft regulations;
- Economic analysis of proposed regulations;
- Consultation with the Insurance Advisory Committee;
- Additional stakeholder consultation mechanisms;
- Framework governing issuance of subsidiary instructions;
- Constitution and functioning of Consultative Committees;
- Periodic review of regulations and subsidiary instructions;
- Procedure for amendment of regulations and subsidiary instructions; and
- Framework for urgent regulations and urgent subsidiary instructions;

---

2. **Existing Regulatory Framework and Legislative Changes under the SBSR Act, 2025.**

   The Insurance Act, 1938 and the IRDA Act, 1999 empower the Authority to frame regulations for carrying out the purposes of the respective statute. The SBSR Act, 2025 has introduced a statutory framework relating to regulation-making and issuance of subsidiary instructions including provisions for:

- Framing of regulations through a consultative process;
- Publication of draft regulations and invitation of public comments;
- Issuance of subsidiary instructions for procedural and clarificatory matters;
- Constitution of consultative committees; and
- Periodic review of regulations.

Accordingly, it is considered necessary to introduce a regulatory framework to operationalise these provisions and standardise the process of making, amendment and review of regulations and issuance of subsidiary instructions. The proposed Regulations intend to codify the principles of stakeholder engagement, public

consultation and publication of draft exposures which have hitherto been followed as established regulatory practices to create a structured framework for the same.

---

3. Key Features of the Proposed Regulations:

3.1 Principles of Regulation Making

The proposed Regulations prescribe broad principles that may be considered while framing regulations.

3.2 Public Consultation Framework

The proposed Regulations provide for a transparent public consultation framework requiring publication of draft regulations to enhance stakeholder participation.

3.3 Framework for Economic Analysis

The proposed Regulations empower the Authority to undertake economic analysis of proposed regulations, including assessment of costs and benefits proportionate with the Authority's statutory objectives.

3.4 Consultation with Insurance Advisory Committee:

The proposed Regulations provide consultation with Insurance Advisory Committee in accordance with the provisions of the IRDA Act, 1999.

3.5 Additional Consultation Mechanism:

The proposed Regulations empower the Authority to establish additional consultation mechanisms to add domain expertise to examine the regulatory proposals.

3.6 Framework for Subsidiary Instructions:

The SBSR Act recognises subsidiary instructions as a distinct regulatory instrument. The proposed Regulations specify the scope and nature of subsidiary instructions that may be issued for:

- Clarification of ambiguities in regulations; and
- Procedural matters ancillary to regulations.

3.7 Constitution of Consultative Committees:

For the purpose of Sections 114B and 114C of the Insurance Act, the Proposed Regulations provide for constitution of Consultative Committees to provide recommendations on matters relating to subsidiary instructions and such other matters as may be referred by IRDAI.

3.8 Amendment and Review Framework:

The proposed Regulations require amendments to regulations and subsidiary instructions to generally follow the same procedural framework as provided for their issuance. It also provides for periodic review of regulations and subsidiary instructions issued thereunder.

3.9 Urgent Regulations and Subsidiary Instructions:

Limited exceptions are proposed to enable:

- Urgent regulations in public interest and internal functioning of IRDAI; and
- Urgent subsidiary instructions in exceptional circumstances.

The framework requires recording of reasons for such action, thereby balancing regulatory responses to certain exigencies with accountability.

---

4. Protection of Policyholder Interests:

The Proposed Regulations provides to prioritise policyholder protection through consultative mechanism in regulation making:

- Public consultation prior to issuance of regulation;
- Consideration of stakeholder feedback;
- Independent expert participation in consultative committees;
- Economic analysis of proposals, where considered necessary;
- Periodic review of regulatory effectiveness.

The proposed framework seeks to balance accountability with protection of policyholder interests.

---

5. **Stakeholder Feedback:** The Authority invites comments from stakeholders on the proposed amendments. Exposure draft of the Regulation is as per **Annexure 1**. Stakeholders may submit their comments on the Exposure Draft in the format specified in **Annexure 2**. Feedback may be submitted to Ms. Anjaly Jolly at anjaly.jolly@irdai.gov.in and Mr. Aaryaveer Chauhan at aaryaveer.chauhan@irdai.gov.in on or before 8th July, 2026.

This Consultation Paper is issued for public and industry comments.